न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास–पीयुष समारिया,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 12/2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/31

प्रार्थी

हनुमानराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कुलदीप चौधरी, तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
2. मुकेश कुमार पुत्र गणपतराम (कथित पुत्र पनाराम) जाति जाट निवासी रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला नागौर।
3. मनोज दतक पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी उगरपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
4. पटवारी, पटवार हल्का, जिलिया/उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री भरत ओझा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका।

आदेश **दिनांक– 15-06-2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2021 बअनवान मुकेश कुमार बनाम पटवारी हल्का उगरपुरा/जिलिया की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने लिखत बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस में कथन किया कि तहसीलदार कुचामन सिटी के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 मुकेश कुमार ढाका पुत्र गणपतराम ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपने आप को पन्नाराम का पुत्र बताते हुये मौजा उदयपुरा व भंवरपुरा में स्थित विवादित आराजी में नामान्तरकरण दर्ज करने के लिये आवेदन पेश किया। जिस पर उक्त प्रकरण को पटवारी के पास जांच के लिये भेजा तो उसने उक्त प्रकरण को विवादित श्रेणी का बताया, तब तहसीलदार ने उक्त प्रकरण को विवादित मानते हुये दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। तहसीलदार ने उक्त प्रकरण को दिनांक 1.1.2021 को दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत उगरपुरा/जिलिया, ग्राम सेवक पंचायत उगरपुरा/ जिलिया व पटवारी हल्का संबंधित को नोटिस जारी कर मृतक खातेदार पन्नाराम के विधिक वारिसान के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिये पत्रावली को दिनांक 18.1.2021 को नियत कर दिया। दिनांक 18.1.2021 को सरपंच, पटवारी हल्का व ग्राम सेवक की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई तथा पत्रावली को जल्दबाजी में मुकेश कुमार की साक्ष्य के लिये नियत कर दी। जबकि इसके पूर्व उक्त प्रकरण साक्ष्य के लिये नहीं होकर सरपंच वगेरा की जांच रिपोर्ट के लिये प्रकरण को [illegible] इसी दौरान प्रार्थी हनुमानराम ने पन्नाराम का वारिस होने के संबंध में आवेदन पेश करने का [illegible] दिनांक 18.1.2021 को हनुमानराम को नोटिस जारी किया गया तथा आगामी [illegible] दिनांक [illegible]2021 को तय की गई।

तहसीलदार स्वयं की प्रथम [illegible] सरपंच, [illegible]क व पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई थी, [illegible] इसके बावजूद तहसील[illegible]मन सिटी ने उक्त पत्रावली में अप्रार्थी मुकेश कुमार के प्रलोभन में आ[illegible] उक्त पत्रावली की सारी प्रक्रिया को ताक पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:00 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

रखकर पत्रावली को बिना किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत लिये व बिना किसी आधार के ही बहस के लिये नियत कर दी। जब प्रार्थी ने अप्रार्थी मुकेश कुमार के आवेदन का जबाब व उसके साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर चाहा तो वह भी नहीं दिया गया। जबकि एकतरफ तो तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को सुनवाई के लिये नोटिस जारी किया जाता है तथा दूसरी तरफ एक ही पेशी पर यह भी अंकित कर दिया कि, साक्ष्य सबूत पेश नहीं करना चाहते है। अर्थात् तहसीलदार ने पहले से ही अपना मस्तिष्ट अप्रार्थी मुकेश कुमार के पक्ष में येन केन जल्दबाजी में निर्णय करने के लिये सेट कर रखा था कि, उक्त प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी मुकेश कुमार के पक्ष में करना है। जबकि अप्रार्थी मुकेश कुमार ने ऐसा कोई दस्तावेजपेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि, मुकेश कुमार पन्नाराम का पुत्र इस प्रकार तहसीलदार ने विशेष रूची दिखाते हुये विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू है। इसलिये तहसीलदार कुचामन सिटी से उक्त प्रकरण में सही न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये उक्त प्रकरण को अन्यत्र ट्रांसफर किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अप्रार्थी मुकेश कुमार के पिता का दस्तावेजों में नाम गणपतराम अंकित है तथा उसकी जाति ढाका गोत्र है। जिसका निवास स्थान रूल्याणी जिला सीकर है। जबकि पन्नाराम की जाति गोत्र पोषक है। जिसकी पुष्टि मुकेश कुमार के दस्तावेजों से भी होती है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मुकेश कुमार के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू है। जबकि विधिनुसार तहसीलदार को किसी भी व्यक्ति को उताराधिकारी घोषित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। उताराधिकार घोषित केवल मात्र सिविल न्यायालय ही कर सकता हैं क्योंकि, सभी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि, मुकेश कुमार का पिता गणपतराम है न कि पन्नाराम। मुकेश कुमार येनकेन उक्त प्रकरण को अपने पक्ष में करवाने पर उतारू है तथा इसलिये तहसीलदार उक्त प्रकरण में विशेष रूची लेकर बिना किसी आधार के ही मुकेश कुमार के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू है तथा दिनांक 15.2.2021 को मुकेश कुमार ने तहसीलदार के चेम्बर से निकल कर खुली धमकी दी कि, तहसीलदार से मेरी बात हो गई है तथा फैसला मेरे हक में ही होगा, इस प्रकार अप्रार्थी मुकेश कुमार ढाका द्वारा प्रार्थी को धमकी देने से यह पुख्ता हो गया है कि, तहसीलदार कुचामन सिटी सही न्याय निर्णय नहीं करेगें। इसलिये उक्त प्रकरण का ट्रांसफर किया जाना उचित है।

उक्त प्रकरण की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि, तहसीलदार अप्रार्थी मुकेश कुमार के पक्ष में विशेष रूची लेकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है जबकि उक्त विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद भी विचाराधीन है । इस प्रकार तहसीलदार ने उक्त प्रकरण को केवल तीन पेशीयों में ही पूरा कर दिया तथा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं आई थी। इस प्रकार जहां पर यह शंका हो जाती है कि, पक्षकार को प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसी स्थिति में प्रकरण का स्थानान्तरण अन्य तहसीलदार को किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अन्यथा पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद और बढ़ते है। उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों में उक्त प्रकरण का ट्रांसफर अन्य तहसील में किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री कैलाश गालवा ने अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते हुए बहस में कथन किया कि मुकेश कुमार के पिता का नाम पन्नाराम हैं तथा निवासी रूल्याणी नही होकर के भंवरपुरा तहसील कुचामन सिटी हाल निवासी गणेशपुरा हैं, इस प्रकार मुकेश कुमार की वल्दीयत गणपतराम गलत रूप से बताई गई है। तहसीलदार जी कुचामन सिटी को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर उदयपुरा व भंवरपुरा में स्थित खेताय जो विवादित खेताय नही हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं तथा मौजा उदयपुरा व भंवरपुरा में स्थित खेतायो में पन्नाराम के फौतगी नामान्तरकरण हेतु कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से की जा रही हैं, जिस हेतु धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का आवेदन अवश्य विचाराधीन है। लेकिन विवादित होने का कथन गलत है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 21.01.2021 को उक्त प्रकरण दर्ज अवश्य किया एवं सरपंच ग्राम पंचायत उगरपुरा/जिलिया एवं पटवारी हल्का संबंधित को नोटिस जारी कर मृतक खातेदार पन्नाराम के विधिक वारिसान के संबंध में सूचना चाही गई जो कि विधिक कार्यवाही में आवश्यक होती है एवं पत्रावली आज दिन भी विचाराधीन है। यह कहना गलत है कि सरपंच, पटवारी हल्का व ग्राम सेवक ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई हो। यह कहना गलत है कि सीधे ही पत्रावली को मुकेश कुमार की साक्ष्य के

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.05.09 10:12:09 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर, नागौर

लिए नियत कर दी गई, जबकि अन्य पक्षकारो को भी विधिवत रूप से नोटिस देकर सूचित किया जा चुका है। यह कहना गलत है कि हनुमानराम द्वारा पन्नाराम का वारिस होने के संबंध में आवेदन पेश करने का कथन किया हो, अपितु हनुमानराम गलत रूप से पन्नाराम का वारिस बन रहा है जबकि जायन्दा पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 मुकेश कुमार है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी कुचामन सिटी द्वारा विधिवत रूप से पक्षकारो को नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है एवं पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। प्रकरण में लिखावट एक तलाकनामा प्रार्थी हनुमानराम स्वंय द्वारा अपने भाई पन्नाराम व उसकी पत्नी सन्तोष के मध्य छुटापे के संबंध में लिखापढ़ी दिनांक 22.12.97 को लिखी गई है, जिसकी प्रति अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। उक्त लिखापढ़ी में अंकित किया है कि" पन्नाराम के एक लड़का है जो अभी छोटा है अपनी नानी के पास रहता है, जो कुछ बड़ा हो जायेगा तब अपने पिता के पास चला जायेगा, उसके बाद सारी जिम्मेवारी पिताजी व उसके परिवारवालों की होगी" उक्त लिखा पढ़ी के नीचे प्रार्थी हनुमानराम स्वंय के हस्ताक्षर है। इसके अलावा दिनांक 19.12.2020 को अप्रार्थी मुकेश द्वारा अपने पिता पन्नाराम का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त उनके पिता के फूल हरिद्वार लेकर गया तथा पिंडदान किया, उक्त कथन की पुष्टि अप्रार्थी संख्या–2 मुकेश द्वारा हस्तगत प्रकरण में हरिद्वार के पंडे की लिखावट दिनांक 19.12.2020 पेश की है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी कुचामन सिटी के समक्ष अप्रार्थी संख्या–2 मुकेश मृतक पन्नाराम का पुत्र होने के संबंध में सेवाराम पुत्र पुसाराम जाट, बोदूराम पुत्र श्रीकिशनाराम जाति जाट, बिरमाराम पुत्र परसाराम जाट निवासीगण भंवरपुरा (उदयपुरा) के शपथ पत्र लिखित दिनांक 23.02.2021 की प्रमाणित प्रतियां हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत की है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–2 मुकेश कुमार ही मृतक पन्नाराम का पुत्र एवं एक मात्र वारिस है।

प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदारजी कुचामन सिटी अप्रार्थी संख्या 2 मुकेश कुमार के बहकावे में आकर सारी प्रकिया गलत रूप से की जा रही हो, अपितु सही व विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है एवं किसी भी पक्षकार को कोई भी साक्ष्य सबूत जवाब इत्यादि प्रस्तुत करने का पूर्णतः अवसर दिया गया है। यह कहना गलत है कि तहसीलदारजी द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी नही किया हो। यह कहना गलत है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नही लिये हो, अपितु जानबूझकर प्रार्थी ने किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नही किया, न ही उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य सबूत हो, जिससे यह साबित हो कि वो पन्नाराम के वारिस हो, इस प्रकार मात्र मामले को लम्बा करने की नियत से व तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में सम्पूर्ण दस्तावेज पन्नाराम का जायन्दा पुत्र होने का प्रस्तुत किये गये हैं। यह कहना गलत है कि तहसीलदारजी जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में रूचि रखते हुए गलत रूप से विधिक प्रक्रिया को अपनाएं बिना निर्णय करने पर उतारू हो, अपितु तहसीलदारजी कुचामन ने तो प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन मात्र पेश करने व नोटिस भिजवाते ही एवं उक्त प्रकरण की सूचना होते ही सम्पूर्ण कार्यवाही रोक दी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध कार्यवाही नही की जा रही है। इस कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नही हैं, मात्र झुठे व मनगढत तथ्यो के आधार पर गलत रूप से मामले को लम्बा करने की नियत से झुठा आवेदन पेश किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का यह कहना गलत है कि मुकेश कुमार पुत्र पन्नाराम निवासी भंवरपुरा नाम का कोई व्यक्ति नही है बल्कि मुकेश कुमार पुत्र गणपतराम है, जिसकी जाट जाति में ढाका गोत्र हैं जिसका निवास स्थान रूल्याणी जिला सीकर है, अपितु मुकेश कुमार ही पन्नाराम का जायन्दा पुत्र हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही चल रही हैं,उसके साक्ष्य सबूत व दस्तावेजो से भली भांति साबित हो जायेगा। यह कहना गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यो का विवेचन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू हैं जबकि आज दिन तक किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया एवं सभी पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया हैं, उक्त प्रकरण मात्र अप्रार्थी संख्या 2 को तंग करने व अधीनस्थ न्यायालय [illegible] रही कार्यवाही को बाधित करने व अप्रार्थी संख्या 2 को हरेसमेन्ट कर मामले को लम्बा करने की नियत से गलत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का यह कहना गलत है कि पीठासीन अधिकारी को उक्त प्रकरण में किसी को उतराधिकारी घोषित करने का कोई हक व अधिकार नही हो। यह [illegible] गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 के दस्तावेजो स्पष्ट है कि वह पन्नाराम का पुत्र नही होकर गणपतराम का पुत्र हैं, यह कहना गलत है कि इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:00 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

बावजूद पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कुचामनसिटी उक्त प्रकरण में विशेष रूचि लेकर पक्षपात करने पर आमादा है। यह कहना गलत है कि ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित होना आवश्यक है। यह कहना गलत है कि दिनांक 15.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में से बाहर आकर प्रार्थी को धमकी दी व कहा हो कि मेरी तहसीलदार से बात हो गई है और अब उक्त प्रकरण का मेरे हक में फैसला हो जायेगा। यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा इस प्रकार प्रार्थी को धमकी देने से यह पक्का हो गया है कि तहसीलदार कुचामन सिटी सही न्याय निर्णय नही करेंगे, इसलिए भी उक्त प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हैं, यहगलत है कि प्रार्थी के साथ अन्याय होगा, अपितु प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अन्य पक्षकारो को धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत सम्पूर्ण दस्तावेज, साक्ष्य सबूत पेश करने व बयान इत्यादि पेश करने के सम्पूर्ण अवसर दिये जा रहे है फिर भी प्रार्थी ने गलत रूप से मामले को लम्बा करने की नियत से यह झुठा आवेदन पेश किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्राथी का यह कहना गलत है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण के निस्तारण में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में रूचि लेकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो अनुसार सही निर्णय नही करेंगे तथा प्रार्थी को उनसे न्याय मिलने की कतई उम्मीद भी नही हैं, क्योकि वह प्रार्थी संख्या 2 के कहे अनुसार मनमर्जी से निर्णय करने पर आमादा है यह भी गलत है कि इसलिए उक्त प्रकरण को तहसीलदार कार्यालय कुचामन सिटी से अन्यत्र मुन्तकिल करने का आदेश प्रदान किया जावे, का कथन करते हुए वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का निवेदन किया है।

श्री रमेश कुमार ढ़ाका वकील अप्रार्थी संख्या–3 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी संख्या–3 को कोई आपत्ति नहीं है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि श्री मुकेश कुमार अप्रार्थी संख्या–2 ने तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पिताजी पन्नाराम पुत्र मोटाराम का स्वर्गवास दिनांक 10.12.2020 को हो गया तथा मैं ही मेरे पिताजी का एक मात्र वारिश उतराधिकारी हूँ। अतः पन्नाराम पुत्र मोटाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि मेरे नाम दर्ज की जावे। उक्त आवेदन पत्र की जाट पटवारी हल्का से करवायी गयी। जिस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की, कि प्रार्थी मुकेश कुमार अपने ननिहाल में निवास कर रहा है। प्रार्थी की माताजी व स्वंय प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में सलग्न दस्तावेज अनुसार पिता ने अलग कर रखा था। प्रार्थना पत्र राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) की श्रेणी में आता है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा सरसरी जॉच प्रारम्भ की गयी।

उक्त प्रकरण दिनांक 01.01.2021 को दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत उगरपुरा/जिलिया, ग्राम सेवक उगरपुरा/जिलिया व पटवारी हल्का उगरपुरा/जिलिया से मृतक खातेदार पन्नाराम के विधिक वारिसान की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु तारीख 18.01.2021 नियत की गई। दिनांक 18.01.2021 तक ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का से वारिसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी दौरान दिनांक 18.01.2021 को उक्त प्रार्थी हनुमानराम ने भी इसी प्रकरण में अपने आपको मृतक पन्नाराम का वारिस होना बताकर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर प्रकरण में हनुमानराम को भी पक्षकार संयोजित करते हुऐ दोनों पक्षों अर्थात मुकेश कुमार व हनुमानराम को अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाकर आगामी पेशी 11.02.2021 नियत की गई। प्रार्थी ने हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–3 में तहसीलदार कुचामनसिटी पर अप्रार्थी मुकेश कुमार के बहकावे में आने आदि के जो आक्षेप लगाये है, वह पूर्णतया, निराधार, मनगढ़त एवं मिथ्या है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण में दोनो ही पक्षकारों को अपने–अपने साक्ष्य पेश करने हेतु तारीख पेशी 11.02.2021 नियत की गई थी। दिनांक 11.02.2021 को उक्त प्रार्थी ने अपनी ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया अपितु वकील श्री [illegible] वकालतनामा पेश किया। दोनों पक्षकारों के वकीलों द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर दिन[illegible]2021 बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थी ने हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के पै[illegible]पूर्ण रूप से अस्वीकार है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस सरसरी ज[illegible] द्वारा [illegible] खातेदार पन्नाराम के नामान्तरकण दर्ज की जाने की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस कार्यवाही में ना तो उत्तराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:00 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

घोषित किया जा रहा है एव ना ही उन्हे उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार है। उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार तो माननीय सक्षम न्यायालय को ही है।

प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल आवेदन के पैरा संख्या 5 व 6 में जिस प्रकार से कथन किये गये है, वह पूर्णतया अस्वीकार है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी ने यह मुन्तकिल आवेदन मात्र प्रकरण को लम्बित करने, प्रकरण में निर्णय नहीं होने देने की गरज मात्र से बेबुदियाद आधार पर पेश किया है। इसके अलावा जहां तक न्यायिक प्रकिया अन्तर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा काई आदेश/निर्णय पारित किया जाता है, ओर यदि कोई पक्षकार उस आदेश/निर्णय आदि से असन्तुष्ठ होने पर वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी के यहां पन्नाराम पुत्र मोटाराम की फौतगी के संबंध में नामान्तरकरण का प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी का कथन कि दिनांक 15.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में सें बाहर आकर प्रार्थी को धमकी दी की मेरी तहसीलदार से बात हो गई है तथा अब उक्त प्रकरण का मेरे हक मे फैसला हो जायेगा। वकील प्रार्थी के उक्त कथन को अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अपने जबाब में गलत होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी प्रार्थी के उक्त कथन को अस्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में दोनो ही पक्षकारों को अपने–अपने साक्ष्य पेश करने हेतु तारीख पेशी 11.02.2021 नियत की गई थी। दिनांक 11.02.2021 को उक्त प्रार्थी ने अपनी ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया अपितु वकील श्री राजेश गुर्जर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। दोनों पक्षकारों के वकीलों द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर दिनांक 15.02.2021 बहस हेतु नियत की गई। उक्त संबंध में राजपैरोकार का कथन कि जहां तक न्यायिक प्रकिया अन्तर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा काई आदेश/निर्णय पारित किया जाता है, ओर यदि कोई पक्षकार उस आदेश/निर्णय आदि से असन्तुष्ठ होने पर वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। प्रकरण में राजपैरोकार व वकील अप्रार्थी श्री कैलाश गालवा द्वारा जिस प्रकार से कथन बहस में किये गये है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, वह उचित प्रतीत होते है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:00 IST
Reason: SelfAttested